प्रेषक,

संख्या:10/1015/12-5-2015-38/2015

मंजूलता सिंह ,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

कृषि निदेशक,
उत्तर प्रदेश, कृषि भवन,
लखनऊ ।

कृषि अनुभाग-5 : लखनऊ : दिनांक 19 अक्टूबर, 2015

विषय: वित्तीय वर्ष 2015-16 में अनुदान संख्या-11 के आयोजनेत्तर पक्ष में रहमानखेड़ा राज्य कृषि प्रबन्ध संस्थान, लखनऊ को व्यय वहन करने हेतु आय-व्ययक प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष धनराशि की स्वीकृति ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक राज्य कृषि प्रबन्ध संस्थान रहमानखेड़ा के पत्र संख्या-रा0कृ0प्र0सं0/1649/लेखा/2015-16, दिनांक 08 सितम्बर, 2015 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिये अनुदान संख्या-11 के आयोजनेत्तर पक्ष में रहमानखेड़ा राज्य कृषि प्रबन्ध संस्थान, लखनऊ को आय-व्ययक में गैर वेतन मद में प्राविधानित धनराशि रू0 9306 हजार के सापेक्ष व्यय को वहन करने हेतु निम्नानुसार अवशेष धनराशि रू0 4653 हजार मात्र की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :-

(धनराशि हजार रूपये में)

लेखाशीर्षक	प्राविधान 2015-16	स्वीकृति अवशेष धनराशि
2401- फसल कृषि कर्म-आयोजनेत्तर		
109-विस्तार तथा किसानों को प्रशिक्षण		

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

04-रहमान खेड़ा राज्य कृषि प्रबन्ध संस्थान		
20-सहायता अनुदान सामान्य (गैर वेतन)	9306	4653
योग-	9306	4653

(रूपये छियालिस लाख तिरपन हजार मात्र)

2- उक्त अनुदान की धनराशि पर अनुदान नियमावली के समस्त नियम लागू होंगे तथा वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 के अध्याय 16ए के नियम इस अनुदान पर लागू होंगे तथा इस सबंध में वित्त (लेखा) अनुदान-1 द्वारा निर्गत राजाज्ञा संख्या-1238/10-15(1)/63, दिनांक 17.01.79, में उल्लिखित निर्देशों तथा शासनादेश संख्या-ए-2364/दस-15(1)/63, दिनांक 17.01.79 में अनुलग्नित नियमावली का भी परिपालन किया जायेगा ।

3- उक्त अनुदान की धनराशि का देयक राज्य कृषि प्रबन्ध संस्थान, रहमानखेड़ा, लखनऊ द्वारा बनाया जायेगा । इस देयक पर संयुक्त कृषि निदेशक, लखनऊ मण्डल द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित और मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ द्वारा भुगतान किया जायेगा । निदेशक, राज्य कृषि प्रबन्ध संस्थान, रहमानखेड़ा, लखनऊ अनुदान की धनराशि का आहरण करने के उपरान्त कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश को सूचित करेंगे ।

4- उक्त जारी स्वीकृति के सापेक्ष एक मुश्त धनराशि का आहरण न किया जाये बल्कि आवश्यकतानुसार धनराशि को कोषागार से आहरण फैंजिग के आधार पर सुनिश्चित की जाये । जहॉ तक संभव हो व्यय की फेजिंग वित्तीय वर्ष के लिये प्रतिमाह समान रूप से की जाये ।

5- उक्त स्वीकृति के फलस्वरूप होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2015-16 के अनुदान संख्या-11 के लेखाशीर्षक-2401-फसल कृषि कर्म-आयोजनेत्तर-109-विस्तार तथा किसानों को प्रशिक्षण -04-रहमानखेड़ा राज्य कृषि प्रबन्ध संस्थान-20-सहायता अनुदान सामान्य (गैर वेतन) के नामे डाला जायेगा ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

6- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या-ई-1-546/दस-2015, दिनांक 15-10-2015 में प्राप्त एनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीया,

(मंजू लता सिंह)
अनु सचिव ।

संख्या- 1015 (1)/12-5-2015 , तददिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/आडिट प्रथम, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद ।
2- निदेशक, राज्य कृषि प्रबन्ध संस्थान, रहमानखेड़ा, लखनऊ ।
3- निदेशक, सम्वर्ती सम्परीक्षा स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद ।
4- संयुक्त कृषि निदेशक, लखनऊ मण्डल, लखनऊ ।
5- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन , लखनऊ ।
6- वित्त नियंत्रक, कृषि निदेशालय, उत्तर प्रदेश लखनऊ ।
7- वित्त (व्यय -नियंत्रक) अनुभाग-1/वित्त (वित्त-आय) अनुभाग-1
8- निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, उत्तर प्रदेश, जवाहर भवन, लखनऊ ।
9- अनुभाग अधिकारी, कृषि अनुभाग-3 ।
१०- गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(मंजू लता सिंह)
अनु सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in